न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/6649/2006/सिरोही

1. सोमसिंह दत्तक पुत्र मकनसिंह जाति राजपूत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

–अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती तीजो कुंवर पत्नी केसरसिंह राजपूत निवासी आमली रोड तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. श्रीमती पवन कंवर पत्नी मूलसिंह राजपूत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 188 एवं 209 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण सोमसिंह व अमरसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शिवगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 483, 475, 476, 477, 484 एवं 485 कुल किता 6 कुल रकबा 21बीघा 09बिस्वा भूमि मकनसिंह वल्द चमनसिंह की खातेदारी कब्जे काश्त की थी। साथ ही इसी गांव में खसरा नम्बर 527, 528 व 139 की कृषि भूमि उसके संगे भाई प्रतिवादी संख्या- अमरसिंह के साथ शामलाती खातेदारी में दर्ज है। मकनसिह का देहान्त दिनांक 8-11-1989 को हो गया तथा खातेदार मकनसिंह के दो पुत्रियां वादीगण है। प्रतिवादी संख्या-1 ने पूरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः विवादित आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को खाली करवाकर भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा तीन वर्षो का हर्जाना प्रतिवर्ष के हिसाब से वादीगण को दिलाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त वाद के अन्तिम बहस के स्तर पर विचाराधीन रहते अपर जिला न्यायाधीश, आबूरोड के पत्र संख्या 954 दिनांक 13-7-2001 के साथ आदेश दिनांक 12-4-2001 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, जिसके अनुसार अपील लम्बित रहने तक इस वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा गया। इसके उपरान्त अपर जिला न्यायाधीश, आबूरोड के अपील मं पारित निर्णय दिनांक 19-2-2004 के द्वारा अपीलार्थीगण तीजो कुंवर व श्रीमती पवनकंवर की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) पिण्डवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1-9-1998 को अपास्त किया और वादी सोमसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् गोदनामें को खारिज किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-09-2004 से वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी की हैसियत से

काबिज होना मानते हुए बेदखल किये जाने व कब्जा वादीगण को दिये जाने के साथ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया तथा हर्जाने बाबत् कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझा। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2006 से खारिज कर दी साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधन करते हुए हर्जाना राशि वादीगण को दिलाये जाने के आदेश पारित किये। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 4(2) जाप्ता दीवानी एवं धारा 140 राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत था। विचारण न्यायलाय ने वाद में 13 तनकीयात कायम की थी किन्तु उन्होंने एक भी तनकी पर बिन्दूवार निर्णय पारित नहीं किया। अपीलीय न्यायालय को इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो–इन्स्टक्शन प्लीड किया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नया अधिवक्ता नियुक्त करने का समय देना चाहिए था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकतरफा में पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के

विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी एवं प्रतिवादी अमरसिंह के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा था, वाद के विचाराधीन रहते अमरसिंह का देहान्त हो गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय को दे दी किन्तु अमरसिंह के कायम मुकाम की कार्यवाही वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किये जाने से वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था तथा विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वाद एवं अपील का निर्णय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-2-2004 को आधार बनाते हुए पारित किया गया है जबकि उक्त निर्णय की प्रतिलिपि वादीगण द्वारा न तो आदेश 13 नियम 2 जाप्ता दीवानी के तहत पेश की थी तथा ना ही प्रदर्शित करवाई। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं था। उनका कथन है कि विवादित भूमि मकनसिंह व अमरसिंह की सहखातेदारी की भूमि थी जिसका बंटवारा आज दिनांक तक नही किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण धारा 183 की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थी। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यथीगण ने न तो क्रास अपील प्रस्तुत की, ना ही क्रास आब्जेशन पेश किये, इसके बावजूद भी अपीलार्थी की अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थी से 14069.55/रूपये वादीगण को दिलाये जाने का आदेशपारित कर दिया, जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन

निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम शिवगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 483, 475, 476, 477, 484 एवं 485 कुल किता 6 कुल रकबा 21बीघा 09बिस्वा भूमि मकनसिंह वल्द चमनसिंह की खातेदारी कब्जे काश्त की थी। इसके साथ ही इसी गांव में खसरा नम्बर 527, 528 व 139 की कृषि भूमि उसके संगे भाई प्रतिवादी संख्या- अमरसिंह के साथ शामलाती खातेदारी में दर्ज है। मकनसिह का देहान्त दिनांक 8-11-1989 को हो गया तथा खातेदार मकनसिंह के दो पुत्रियां वादीगण है। प्रतिवादी संख्या-1 ने पूरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उनका कथन है कि अपर जिला न्यायाधीश, आबूरोड द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 19-2-2004 से वादीगण तीजो कुंवर व श्रीमती पवनकंवर की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) पिण्डवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1-9-1998 को अपास्त किया और वादी सोमसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् गोदनामें को खारिज किया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-09-2004 से वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होना मानते हुए बेदखल किये जाने व कब्जा वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित किया गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी

नहीं होना कथन किया, इसके आगे की तारीख पेशी पर प्रतिवादी अपीलार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये। तत्पश्चात् प्रतिवादी न्यायलाय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी को विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् तनकीवार निर्णय पारित किया है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय में प्रतिवादीगण सोमसिंह व अमरसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शिवगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 483, 475, 476, 477, 484 एवं 485 कुल किता 6 कुल रकबा 21बीघा 09बिस्वा भूमि मकनसिंह वल्द चमनसिंह की खातेदारी कब्जे काश्त की थी। साथ ही इसी गांव में खसरा नम्बर 527, 528 व 139 की कृषि भूमि उसके संगे भाई प्रतिवादी संख्या– अमरसिंह के साथ शामलाती खातेदारी में दर्ज है। मकनसिह का देहान्त दिनांक 8–11–1989 को हो गया तथा खातेदार मकनसिंह के दो पुत्रियां वादीगण है। प्रतिवादी संख्या–1 ने पूरी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः विवादित आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को खाली

करवाकर भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा तीन वर्षो का हर्जाना प्रतिवर्ष के हिसाब से वादीगण को दिलाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त वाद के अन्तिम बहस के स्तर पर विचाराधीन रहते अपर जिला न्यायाधीश, आबूरोड के पत्र संख्या 954 दिनांक 13–7–2001 के साथ आदेश दिनांक 12–4–2001 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, जिसके अनुसार अपील लम्बित रहने तक इस वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा गया। इसके उपरान्त अपर जिला न्यायाधीश, आबूरोड के अपील मं पारित निर्णय दिनांक 19–2–2004 के द्वारा अपीलार्थीगण तीजो कुंवर व श्रीमती पवनकंवर की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) पिण्डवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1–9–1998 को अपास्त किया और वादी सोमसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् गोदनामें को खारिज किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–09–2004 से वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होना मानते हुए बेदखल किये जाने व कब्जा वादीगण को दिये जाने के साथ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया तथा हर्जाने बाबत् कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझा। तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2006 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधन कर हर्जाना राशि वादीगण को दिलाये जाने के आदेश पारित किये।

8. जहां तक प्रतिवादी अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने एवं उनके अधिवक्ता द्वारा नो–इन्स्टक्शन प्लीड किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेशिका दिनांक 5–8–2004 के अनुसार प्रतिवादी वकील द्वारा नो–इन्स्टक्शन प्लीड किया,

जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–08–2004 नियत की गयी। आगामी नियत दिनांक को प्रतिवादी सोमसिंह न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये, जिस पर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 6–9–2004 नियत की गयी। आगामी नियत दिनांक को प्रतिवादी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जहां तक प्रतिवादी संख्या–2 अमरसिंह का देहान्त होने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में लिखी गयी आदेशिका दिनांक 6–7–1998 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध वाद नोट प्रेस किया है। इस प्रकार मूल वाद में जब प्रतिवादी संख्या–2 से वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं होना जाहिर कर दिया तो प्रतिवादी संख्या–2 की मृत्यु होने से मूल वाद पर कोई असर नहीं पडेगा। प्रस्तुत प्रकरण में मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विस्तृत विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमतिता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा

प्रस्तुत बेदखली के वाद में प्रतिवादी अपीलार्थी को सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मृतक खातेदार की विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त होना मानते हुए वाद को डिक्री किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विस्तृत विधिसम्मत् निर्णय से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधन करते हुए वादीगण को राशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 26-06-2006 एवं 30-09-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य